

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1791]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2014/भाद्र 17, 1936

No. 1791]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2014/BHADRA 17, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2014

का. आ. 2282 (अ).—केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के 115.700 कि० मी० से 119.850 कि० मी० तक के भूखण्ड (रोहतक—हिसार सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/चार/छह लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप समक्ष प्राधिकारी, अर्थात्, जिला राजस्व अधिकारी, भिवानी, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किये जाएंगे और समक्ष प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे समक्ष प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे समक्ष प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के भिवानी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के 115.700 कि.मी. से 119.850 कि.मी. तक (रोहतक हिसार खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम व हदबस्त संख्या	सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल		
				आयात संख्या	खेत संख्या			(कनाल)	(मरला)	(वर्ग मीटर)
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.	8.		
1	भिवानी	भिवानी	मुढाल खुर्द	73 / /	22 / 2 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	12	303.516
			ह.ब.स 57		334 / 2 / 1	सरकारी	बंजर	0	13	328.809
				93 / /	18 / 1 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	10	252.93
					22 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	9	227.637
					23 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	16	404.688
					23 / 3	निजी	खेतीबाड़ी	0	9	227.637
					24 / 1 / 1 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	10	252.93
					24 / 2 / 1 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	2	50.586
					25 / 2 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	6	151.758
				95 / /	2	निजी	खेतीबाड़ी	0	17	429.981
					3 / 1 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	6	151.758
				99 / /	327 / 2	पंचायत	बंजर	0	7	177.051
					4 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	1	7	682.911
					5 / 1 / 2 / 1 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	14	354.102
					5 / 1 / 2 / 2 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	8	202.344
					5 / 1 / 2 / 3 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	कमअज मरला	0.000
					5 / 3	निजी	खेतीबाड़ी	0	2	50.586
					6 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	16	404.688
					15 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	2	50.586
				100 / /	1 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	4	101.172
					10 / 1 / 1 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	10	252.93
					10 / 1 / 2 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	1	25.293
					11 / 3 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	4	101.172
					12 / 2 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	2	50.586
				113 / /	25 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	12	303.516
				131 / /	11 / 2 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	9	227.637
					12 / 2	निजी	खेतीबाड़ी	0	4	101.172
					18 / 1 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	1	25.293
					18 / 1 / 2 / 1 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	8	202.344
					18 / 1 / 2 / 2 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	8	202.344
					19 / 1 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	14	354.102
					23 / 2 / 2 / 1 / 1	निजी	खेतीबाड़ी	0	कमअज	0.000

									मरला	
					23/2/2/2/1	निजी	खेतीबाड़ी	0	2	50.586
					24/2/1	निजी	खेतीबाड़ी	0	7	177.051
				143//	11/2	निजी	खेतीबाड़ी	1	9	733.497
					गाँव का कुल जोड़			15	1	7613.193

[फा. सं. भाराराप्रा/पकाई-रोहतक/रोहतक-हिसार/भूअ./14-15/भिवानी]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2014

S.O. 2282 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four/six laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 10, on the stretch of the land from Km 115.700 to Km 119.850 (Rohtak – Hisar Section) in the district Bhiwani in the State of Haryana, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the District Revenue Officer, Bhiwani, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 115.700 to Km 119.850 (Rohtak-Hisar section) on the National Highway No.10 in Bhiwani District in the State of Haryana

Serial number	Name of the district	Name of the tehsil	Name of village & hadbast number	Survey number		Type of land	Nature of land	Area		
				Rectangle number	Field number			In (Kanal)	In (Marla)	In (Square metres)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.			
1	Bhiwani	Bhiwani	Mudhal Khurd	73//	22/2/1	Private	Agricultural	0	12	303.516
			H.B. No. 57		334/2/1	Govt.	Non Agricultural	0	13	328.809
				93//	18/1/1	Private	Agricultural	0	10	252.930
					22/2	Private	Agricultural	0	9	227.637
					23/1	Private	Agricultural	0	16	404.688
					23/3	Private	Agricultural	0	9	227.637
					24/1/1/1	Private	Agricultural	0	10	252.930
					24/2/1/2	Private	Agricultural	0	2	50.586
					25/2/2	Private	Agricultural	0	6	151.758
				95//	2	Private	Agricultural	0	17	429.981
					3/1/1	Private	Agricultural	0	6	151.758
				99//	327/2	Panchayat	Non Agricultural	0	7	177.051

					4/2	Private	Agricultural	1	7	682.911
					5/1/2/1/2	Private	Agricultural	0	14	354.102
					5/1/2/2/2	Private	Agricultural	0	8	202.344
					5/1/2/3/1	Private	Agricultural	0	Less than Marla	0.000
					5/3	Private	Agricultural	0	2	50.586
					6/2	Private	Agricultural	0	16	404.688
					15/2	Private	Agricultural	0	2	50.586
				100//	1/2	Private	Agricultural	0	4	101.172
					10/1/1/1	Private	Agricultural	0	10	252.930
					10/1/2/1	Private	Agricultural	0	1	25.293
					11/3/2	Private	Agricultural	0	4	101.172
					12/2/2	Private	Agricultural	0	2	50.586
				113//	25/2	Private	Agricultural	0	12	303.516
				131//	11/2/2	Private	Agricultural	0	9	227.637
					12/2	Private	Agricultural	0	4	101.172
					18/1/1	Private	Agricultural	0	1	25.293
					18/1/2/1/1	Private	Agricultural	0	8	202.344
					18/1/2/2/1	Private	Agricultural	0	8	202.344
					19/1/1	Private	Agricultural	0	14	354.102
					23/2/2/1/1	Private	Agricultural	0	Less than Marla	0.000
					23/2/2/2/1	Private	Agricultural	0	2	50.586
					24/2/1	Private	Agricultural	0	7	177.051
				143//	11/2	Private	Agricultural	1	9	733.497
					Total of Village			15	1	7613.193

[F. No. NHAI/PIU-Rohtak/Rohtak-Hisar/LA/14-15/Bhiwani]

MAYA PRAKASH, Director